स्वतंत्र ए. आई. तकनिशियन सेवा अनुबंध

यह ए.आई.सेवा अनुबंध (आगे ''अनुबंध'' से सम्बोधित) आज दिनांक xxxx को निम्नलिखित पक्षों के मध्य निष्पादित किया जा रहा है :–

एनिमॉल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय : नंबर 51, प्रथम मुख्य एसटी बेड लेआउट, चौथा ब्लॉक, कोरमंगला, बैंगलोर–560034 तर्फे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नीतू यादव (जिसको इस अनुबंध के द्वारा ''प्रथमपक्षकार'' या ''कंपनी'' के रूप में सम्बोधित किया गया है जिसमें उसके समस्त उत्तराधिकारी, निष्पादक, निदेशक, प्रबंधक, कानूनी प्रतिनिधि और विधिक रूप से अधिकृत स्थानापन्नों इत्यादी को सम्मिलित समझा जायेगा, जबतक की यह असंगत ना हो।)

एवं

श्री xxxx, पुत्र xxxx निवासी xxxx जिसको इस अनुबंध में आगे ''द्वितीय पक्षकार'' या ''ए.आई. तकनिशियन'' या ''सेवा प्रदाता'' से सम्बोधित गया है जिसमें उसके कर्मचारी, सहायक, अथवा अधिकृत प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जावेंगे, जबतक की यह असंगत ना हो।)

प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार को आगे सामूहिक रूप से ''पार्टियां'' एवं व्यक्तिगत रूप से ''पार्टी'' के रूप में उल्लेखित किया गया है।

यह कि:–

1. प्रथम पक्षकार/कंपनी मुख्य रूप से ऑनलाईन पशुधन व्यापार हेतु एक मंच अथवा माध्यम उपलब्ध कराती है, जहां प्रथम पक्षकार के उपयोगकर्ता ऑनलाईन मंच के माध्यम से अपने पशुओं का क्रय–विक्रय कर सकते है, ऑनलाईन चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर सकते है, पशुओं हेतु कृत्रिम गर्भाधान तथा इससे संबंधित सेवाएँ प्राप्त कर सकते है।

2. प्रथम पक्षकार/कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सेवाओं में से एक सेवा मवेशियों हेतु कृत्रिम गर्भाधान की सेवा भी है, जहां प्रथम पक्षकार/कंपनी के उपयोगकर्ता अपने मवेशियों हेतु प्रथम पक्षकार कंपनी से संपर्क करते है तथा प्रथम पक्षकार कंपनी द्वारा योग्य एवं कुशल ए.आई. तकनिशियनों द्वारा इस स्वतंत्र ए.आई. तकनिशियन अनुबंध (''अनुबंध'') के आधार उक्त कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रथम पक्षकार कंपनी के उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है।

3. यह कि ए.आई. तकनीशियन के पास कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं के क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता हासिल है। ए.आई. तकनीशियन की विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ए.आई.तकनीशियन की सेवाएं (जिनका उल्लेख निम्नलिखित चरणों में परिभाषित है) लेती है।

4. उक्त पक्षकारों द्वारा एक दूसरे को दिये गये आश्वासनों, वचनों व निवेदन के आधार पर दोनों पक्ष इस अनुबंध में वर्णित शर्तो/नियमों के तहत कार्य करना तय पाया है। अतः भविष्य में द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्ष/कंपनी को प्रदान की जा रही स्वतंत्र सेवाएँ इस अनुबंध से बाध्य होगी तथा दोनों पक्ष इस अनुबंध की पालना सुनिश्चित करेंगे।

अब, उक्त पक्षकारान इच्छुक है कि इस अनुबंध में तयशुदा शर्तों व नियमों को लेखबद्ध कर दिया जावे जिससे उनके अधिकार व दायित्व विनियमित हो सके। इसलिए, नीचे दिए गए पारस्परिक अनुबंधों और समझौतों पर विचार करते हुए, कंपनी और ए.आई.तकनीशियन द्वारा निम्नानुसार अनुबंधित और सहमति व्यक्त की जाती है :–

5. **परिभाषाएँ :**

जबतक की इस अनुबंध के संदर्भ में जरूरी ना हो :–

i. इस अनुबंध के नियमों में एकवचन में बहुवचन सम्मिलित समझे जावेगे तथा बहुवचन में एकवचन सम्मिलित समझे जावेगे। यह भी जाना जायेगा कि पुल्लिंग में स्त्रीलिंग व स्त्रीलिंग में पुल्लिंग सम्मिलित माना जावेगा।

ii. इस अनुबंध के साथ लगे विवरण, सूचियां इत्यादी इस अनुबंध के विभिन्न अंग हैं व रहेंगे।

iii. यह कि इस अनुबंध में उपलब्ध शीर्षक एवं गहरे काले अक्षर केवल सुविधा के लिये हैं जो कि किसी शब्द को परिभाषित करने अथवा भावार्थ के लिये आवश्यक नहीं है।

A. **''कृत्रिम गर्भाधान''** या ''एआई'' का अर्थ है कृत्रिम तरीकों से परिपक्व मादा प्रजनन पथ में तरल या जमे हुए–पिघले हुए गोजातीय वीर्य को जमा करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक और प्रक्रिया ।

B. **''पशु''** का अर्थ मवेशी और भैंस समूह का कोई भी जानवर होगा लेकिन गाय, गाय–बैल, गाय–बछिया, भैंस, भैंस–बैल और भैंस बछिया सहित, इन्हीं तक सीमित नहीं है,

C. **''उपयोगकर्ता''** का अर्थ एक व्यक्ति या संगठन है जो कि प्रथम पक्षकार द्वारा अपने ऑनलाईन मंच के द्वारा मुहैया करवाई जा रही विभिन्न सेवाओं को प्राप्त करता है अथवा प्राप्त करना चाहता है अथवा कोई ऐसा किसान जो कच्चा दूध बेचता है जो डेयरी जानवरों के झुंड द्वारा उत्पादित किया गया है और ए.आई.तकनीशियन के माध्यम से कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का उपयोग करता है।

D. **''वीर्य''** का अर्थ है किसी भी रूप में गाय बैल या भैंस बैल का वीर्य।

E. **''एसओपी''** का मतलब मानक संचालन प्रक्रिया है।

6. <u>सेवाओं का दायरा :–</u>

6.1 कंपनी यहां निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन, ए.आई.तकनीशियन को सेवा प्रदान करने के लिए नियुक्त करती है, और ए.आई.तकनीशियन जानवरों के कृत्रिम गर्भाधान (''सेवाएं'') के संबंध में अपनी सेवाएॅ उपलब्ध कराने हेतु सहमत है, जैसा कि 'अनुलग्नक–ए' में विस्तार से वर्णित है।

6.2 ए.आई.तकनीशियन इस बात से सहमत है कि वह हर समय लगन से, मेहनत और अपने सर्वोत्तम कौशल, क्षमता, अनुभव और प्रतिभा के

अनुसार, यहां निर्धारित सभी सेवाएं प्रदान करेगा और समय–समय पर कंपनी द्वारा जारी नियमों, शर्तो और प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

6.3 कंपनी समय–समय पर सेवाओं के दायरे का विस्तार, संशोधन या संशोधन कर सकती है और ए.आई.तकनीशियन ऐसे परिवर्तन, संशोधनों का तुरंत अनुपालन करेगा।

6.4 ए.आई.तकनीशियन का कार्य स्थान दूरस्थ या क्षेत्र में होगा, और ए.आई. तकनीशियन को कंपनी के कार्यालयों, परियोजना स्थानों, डिवीजनों, विभागों आदि में कंपनी द्वारा सूचित किये जाने के अनुसार सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। कार्यकाल शुरू होने पर, ए.आई. तकनीशियन कंपनी द्वारा आगे निर्देश दिए जाने तक निर्धारित कार्यक्षेत्र में अपनी सेवाएँ देगा।

7. <u>**ए.आई.तकनीशियन की योग्यता :–**</u>

इस अनुबंध को निष्पादित करने हेतु द्वितीय पक्षकार की निम्नलिखित योग्यताएँ होना आवश्यक हैः–

7.1 ए.आई. तकनीशियन की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिये।

7.2 ए.आई. तकनीशियन की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिये।

7.3 ए.आई. तकनीशियन के पास कार्य की विशेष योग्यता धारित करने के संबंध में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अथवा प्रथम पक्षकार कंपनी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

7.4 ए.आई. तकनीशियन के पास न्यूनतम एक वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है।

8. <u>**ए.आई.तकनीशियन के दायित्व :–**</u>

8.1 ए.आई.तकनीशियन सहमत है और वारंटी देता है कि इस अवधि के दौरान, वह सेवाओं को लगन और कुशलता से निष्पादित करेगा, और

लक्ष्यों को प्राप्त करने और कंपनी द्वारा निर्धारित पैरामीटर, एस.ओ.पी. का पालन करने के लिए अपनी सर्वोत्तम क्षमता से प्रयास करेगा।

8.2 ए.आई.तकनीशियन इस बात से सहमत है कि समय इस अनुबंध के लिए महत्वपूर्ण है और कंपनी की ओर से प्राप्त भुगतानों की वापसी के लिए इस अनुबंध में कंपनी द्वारा निर्धारित समय–सीमा का पालन करेगा।

9. **ए.आई.तकनीशियन के आश्वासन :–**

ए.आई.तकनीशियन द्वारा प्रथम पक्षकार कंपनी को निम्न प्रकार आश्वासित किया जाता है कि :–

9.1 अनुबंध का निष्पादन ए.आई.तकनीशियन पर एक कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व होगा जिसकी सशब्द अनुपालना करना द्वितीय पक्षकार ए.आई.तकनीशियन का दायित्व होगा।

9.2 ए.आई.तकनीशियन किसी भी प्रतिबंध, या निषेध के अधीन नहीं है, चाहे कानूनी, संविदात्मक, या अन्यथा, जो इसे इस अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने या पालन करने से रोकता हो और द्वितीय पक्षकार द्वारा ऐसे किसी भी कार्य को नहीं किया जायेगा जिससे इस अनुबंध का उल्लंघन होता हो।

9.3 ए.आई. तकनीशियन अनुबंध द्वारा प्राप्त कार्य या उससे संबंधित कोई कार्य अन्य किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी, फर्म आदि को हस्तांतरित नहीं करेगा और न ही इस प्रकार का कोई अनुबंध किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, कंपनी, फर्म से करेगा।

9.4. इस अनुबंध की सभी शर्तों का ए.आई.तकनीशियन का प्रदर्शन इस अनुबंध के शुरू होने से पहले ए.आई.तकनीशियन द्वारा हासिल की गई मालिकाना जानकारी को भरोसे में या भरोसे में रखने के लिए किसी भी अनुबंध का उल्लंघन नहीं करेगा ।

9.5 ए.आई.तकनीशियन पर्याप्त रूप से रिकार्ड संधारित करेगा और ए.आई. तकनीशियन द्वारा निष्पादित सभी गोपनीय सूचनाओं और सेवाओं के रिकॉर्ड (नोट्स के रूप में और किसी अन्य रूप में जो कंपनी द्वारा आवश्यक समझी जावे) प्रथम पक्षकार कंपनी को प्रथम पक्षकार कंपनी द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

9.6. ए.आई.तकनीशियन सेवाओं के प्रावधान के संबंध में अपने ज्ञान, विशेषज्ञता एवं कार्य कुशलता का पूरा लाभ प्रथम पक्षकार कंपनी को उपलब्ध करावेगा और अपने कार्यो के सफल निष्पादन हेतु संपूर्ण ध्यान और क्षमताओं का उपयोग करेगा।

9.7 ए.आई.तकनीशियन, कंपनी द्वारा निर्धारित नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों का पालन करेगा, जिन्हें प्रथम पक्षकार कंपनी द्वारा समय–समय पर अद्यतन किया जा सकता है।

9.8 ए.आई.तकनीशियन उचित परिश्रम के साथ और सुरक्षित और सक्षम तरीके से और सभी लागू कानूनों के अनुपालन में सेवाए प्रदान करेगा

9.9 इस अनुबंध के तहत सेवाएं प्रदान करने में उपयोगकर्ताओं द्वारा ए.आई. तकनीशियन को किए गए भुगतान को कंपनी को किया गया भुगतान माना जाएगा और ए.आई.तकनीशियन सात (7) दिनों के भीतर इस अनुबंध के तहत सेवाओं के एवज में उपयोगकर्ताओं से प्राप्त समस्त भुगतान प्रथम पक्षकार कंपनी को जमा कर देगा। ऐसा न करने पर कंपनी इस अनुबंध की पैरा–19.2 (समाप्ति) के अनुसार इस अनुबंध को समाप्त करने की हकदार होगी।

10. **प्रतिभूति राशि :–**

ए.आई. तकनीशियन अनुबंध निष्पादित किये जाने की दिनांक को प्रथम पक्षकार कंपनी के पास राशि रूपये 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) बतौर ब्याज मुक्त प्रतिभूति राशि जमा करवायेगा और उक्त राशि को अनुबंध अवधि के दौरान प्रदत्त दायित्व के निर्वहन हेतु बनाये रखेगा। ए.आई.तकनीशियन को प्रदत्त किसी भी कार्य या दायित्व के निर्वहन व अनुपालन न करने से यदि कपंनी को कोई क्षति या नुकसान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कारित होता है तो कंपनी को यह अधिकार रहेगा कि

उक्त प्रतिभूति राशि में से नुकसान राशि की कटौती की जा सकेगी तथा यदि कोई राशि शेष बचती है तो ए.आई. तकनिशियन को लौटा दी जावेगी।

यदि तकनीशियन कंपनी के पास उपरोक्त राशि जमा करने में असमर्थ है तो उस स्थिति में तकनीशियन कंपनी को उसी राशि के लिए एक अदिनांकित चेक प्रदान करेगा और ऐसा करने पर तकनीशियन कंपनी को इसे जमा करने का अधिकार भी प्रदान करेगा।

11. **<u>कंपनी संपत्ति</u>** :–

द्वितीय पक्षकार ए.आई. तकनिशियन को आवंटित कार्यो हेतु प्रथम पक्षकार कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाये गये किट बतौर अमानत द्वितीय पक्षकार के पास रहेंगे और कंपनी कार्यो हेतु ही उपयोग किये जायेंगे तथा कार्य समप्ति के उपरांत प्रथम पक्षकार कंपनी को यथास्थिति में ए. आई. तकनिशियन लौटाने हेतु बाध्य होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डित किये जाने का भागी होगा तथा ऐसी किसी भी कानूनी कार्रवाई के समस्त हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी भी ए.आई.तकनीशियन की होगी।

12. **<u>अपरिहार्य कारण</u>** :–

यह कि यदि प्रथम पक्ष कंपनी द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में द्वितीय पक्ष द्वारा ऐसे अनिश्चित कारणों व परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं, सरकारी पाबंदियों, लॉकडाउन अथवा महामारी इत्यादी के कारण जो प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष ए.आई. तकनिशियन के नियंत्रण से बाहर हो, के कारण नहीं किया जा सकेगा, ऐसी दशा में किसी भी पक्ष को अन्य पक्ष के विरूद्ध हानि अथवा किये गये खर्चो, भुगतान आदि का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

13. **<u>शुल्क और भुगतान की शर्तें</u>** :–

13.1. सेवाओं के ए.आई.तकनीशियन के प्रदर्शन और डिलिवरेबल्स के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, ए.आई.तकनीशियन पार्टियों के बीच सहमत शुल्क (''शुल्क'') के हकदार होंगे, जैसा कि अनुबंध – बी में विस्तार से

वर्णित है। ए.आई.तकनीशियन कंपनी को मासिक बिल जारी करेगें और सभी बिल कंपनी के अनुमोदन के अधीन हैं।

13.2 ए.आई.तकनीशियन को सभी भुगतान, जैसा कि अनुबंध–बी में उल्लेख किया गया है, केवल ए.आई.तकनीशियन द्वारा उपयोगकर्ता से ए.आई. तकनीशियन द्वारा प्राप्त पिछले महीने के 28वें दिन कंपनी को सभी भुगतानों की सफलतापूर्वक वापसी पर महीने के पहले कार्य दिवस पर कंपनी की ओर से देय होगा।

13.3. ए.आई.तकनीशियन को देय सभी भुगतान लागू कानूनों के अनुसार कर के लिए मानक कटौती के अधीन होंगे।

13.4 ए.आई.तकनीशियन इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि कंपनी को ए.आई.तकनीशियन को देय सभी भुगतानों में से कटौती करने का अधिकार है जो कंपनी को वापस नहीं किये गये है और कंपनी की ओर से ए.आई.तकनीषियन द्वारा प्राप्त किये गये थे, बषर्ते कि ऐसी वापसी योग्य राषि उस विषेष महीने में ए.आई.तकनीषियन को देय षुल्क से अधिक नहीं होगा।

13.5 ए.आई.तकनीशियन एतद्द्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि कंपनी को ए.आई.तकनीशियन को देय शुल्क से कटौती करने का अधिकार है, कंपनी को वापस नहीं किए गए सभी भुगतान जो कंपनी की ओर से ए.आई.तकनीशियन द्वारा प्राप्त किए गए थे, बशर्ते कि ऐसी वापसी योग्य राशि है उस विशेष महीने में ए.आई.तकनीशियन को देय शुल्क से अधिक नहीं।

14. **<u>सेवा प्रदाता कर्मचारी नहीं :</u>**

इस अनुबंध के तहत सेवाएं प्रदान करने वाला ए.आई.तकनीशियन कंपनी का कर्मचारी नहीं है और कंपनी से कोई रोजगार लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है। इसके अलावा, कंपनी को ए.आई.तकनीशियन की ओर से रोजगार बीमा, भविष्य निधि, श्रमिकों के मुआवजे या समान प्रीमियम, नियोक्ता स्वास्थ्य कर और अन्य समान शुल्कों के लिए योगदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

15. **स्वामित्व और असाइनमेंटः–**

ए) स्वामित्वः–

i) पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि इस अनुबंध के तहत ए.आई. तकनीशियन द्वारा किए गए कार्य उत्पाद या सेवाओं पर कंपनी का पूर्ण और एकमात्र स्वामित्व होगा।

ii) ए.आई.तकनीशियन तुरंत कंपनी को लिखित रूप में उन सभी कार्यों, सेवाओं, विकासों, सुधारों का खुलासा करेगा, जो ए.आई.तकनीशियन (या तो अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से) द्वारा अभ्यास या सीखे गए हैं, उस अवधि के दौरान जब ए.आई.तकनीशियन कंपनी, उससे संबंधित या उसमें निहित किसी भी अवधारणा, विचार, सुझाव और दृष्टिकोण सहित सेवाओं को निष्पादित करने के परिणामस्वरूप सेवाएं प्रदान करता है।

iii) सभी सामग्री, जिसमें बिना किसी सीमा के कोई भी विचार, अवधारणा या नोट्स शामिल हैं, जिसमें सभी परिवर्तन शामिल हैं, जो सेवाओं के प्रदान करने की प्रक्रिया में विकसित होते हैं, या सेवाओं और गोपनीय जानकारी (नीचे परिभाषित) या उपरोक्त में से कोई भी कंपनी की संपत्ति हैं और ए.आई.तकनीशियन द्वारा कंपनी के अनुरोध पर तुरंत उसकी किसी भी प्रतियों के साथ कंपनी को वापस कर दिया जाएगा।

बी) **कार्यभार :**

i) ए.आई.तकनीशियन एतद्द्वारा रॉयल्टी या किसी अन्य विचार के बिना कंपनी को सौंपने के लिए सहमत होता है, सिवाय इसके कि यहां स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, सभी विश्वव्यापी अधिकार, शीर्षक और रुचि जो ए.आई.तकनीशियन के पास हो सकती है या कंपनी में और उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त हो सकती है, इस अनुबंध के तहत ए. आई.तकनीशियन की सेवाओं में शामिल या उससे संबंधित किसी भी पेटेंट, व्यापार रहस्य, या अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों या मालिकाना जानकारी में प्राप्तकर्ता पक्ष का अधिकार, शीर्षक और हित, यदि कोई हो, असाइनी या नामांकित व्यक्ति।

ii) कंपनी के अनुरोध पर, ए.आई.तकनीशियन कंपनी के साथ सहयोग करने और इस तरह के सभी कार्यों को करने और इस खंड के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक किसी भी दस्तावेज को निष्पादित करने के लिए सहमत है।

16. **<u>पक्षकारों का संबंध :–</u>**

16.1. इस अनुबंध के विशिष्टता खण्ड के अधीन ए.आई.तकनीशियन और ए.आई.तकनीशियन कार्मिक, यदि कोई हो, हर समय, स्वतंत्र ठेकेदार बने रहेंगे और इस अनुबंध में कुछ भी नियोक्ता और कर्मचारी, प्रिंसिपल और एजेंट, साझेदारी या संयुक्त उद्यम, या किसी अन्य प्रत्ययी के संबंध बनाने के लिए नहीं लगाया जाएगा।

16.2. ए.आई.तकनीशियन कंपनी के लिए या कंपनी की ओर से एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, या कंपनी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, या कंपनी को किसी भी तरह से बाध्य नहीं कर सकता है।

16.3 न तो ए.आई. तकनीशियन, न ही कोई ए.आई. तकनीशियन कार्मिक, कंपनी के किसी भी कर्मचारी को दिए गए किसी भी लाभ या कर्मचारियों को आम तौर पर दिए गए अन्य लाभों के हकदार होंगे, जिनमें बीमा, अवकाश, सेवानिवृत्ति लाभ और बीमार वेतन शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

17. **<u>विशिष्टता :–</u>**

कार्यकाल के दौरान, ए.आई.तकनीशियन कंपनी के व्यवसाय और मामलों के लिए ए.आई.तकनीशियन के सभी कार्य समय और ध्यान को पर्याप्त रूप से समर्पित करेगा और सभी भौतिक मामलों में ए.आई.तकनीशियन को दिए गए कानूनी और उचित निर्देशों और निर्देशों के अनुरूप होगा और उनका पालन करेगा। कार्यकाल के दौरान, ए.आई.तकनीशियन कंपनी के हितों को बढ़ावा देने और उनकी सेवा करने के लिए ए.आई. तकनीशियन के कार्य समय के दौरान ए.आई.तकनीशियन के सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेगा और किसी भी अन्य व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा, भले ही ऐसी गतिविधि आर्थिक लाभ के लिए की जाए या नहीं।

18. **<u>गोपनीयताः–</u>**

ए) **गोपनीय जानकारीः–**

i) कंपनी कुछ स्वामित्व तकनीकों, व्यापार रहस्यों और गोपनीय जानकारी का मालिक है और विकसित, संकलित और स्वामित्व कर सकती है, जो कंपनी के लिए बहुत मूल्यवान हैं (सामूहिक रूप से, ''गोपनीय जानकारी'') तकनीशियन की सेवाओं के प्रदर्शन के दौरान कंपनी की जानकारी का खुलासा तकनीशियन को कर सकती है।

ii) गोपनीय जानकारी कंपनी से संबंधित कोई भी जानकारी है जो आम जनता के लिए सुलभ नहीं है और इसमें न केवल कंपनी द्वारा प्रकट की गई जानकारी शामिल है, बल्कि ए.आई.तकनीशियन द्वारा सेवाओं के प्रदर्शन के दौरान ए.आई.तकनीशियन द्वारा विकसित या सीखी गई जानकारी भी शामिल है। कंपनी की जानकारी को व्यापक रूप से परिभाषित किया जाना है और इसमें सभी जानकारी शामिल है, जिसका व्यवसाय में वाणिज्यिक मूल्य या अन्य उपयोगिता हो सकती है या हो सकती है, जिसमें कंपनी लगी हुई है या हो सकती है और जिसका अनाधिकृत प्रकटीकरण कंपनी के हितों के लिए हानिकारक हो सकता है, चाहे या कंपनी द्वारा ऐसी जानकारी की पहचान नहीं की गई है।

iii) गोपनीय जानकारी में ग्राहकों और व्यावसायिक संपर्कों का विवरण, विकास, डिजाइन, आविष्कार, सॉफ्टवेयर, तकनीक, जानकारी, डेटा, मार्केटिंग, बिक्री या अन्य व्यावसायिक जानकारी, स्क्रिप्ट, लागत और संसाधन, उपयोग किए गए उपकरण शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है और उपरोक्त में से किसी के लिए सभी डेरिवेटिव या सुधार।

बी) **<u>गैर–प्रकटीकरण और संरक्षण :</u>**

ए.आई.तकनीशियन इस बात से सहमत है कि सेवाओं के प्रदर्षन के दौरान दौरान तथा उसके बाद हर समय, ए.आई.तकनीशियन सभी सूचनाओं को गोपनीय रखेगा और खुलासा, प्रकाशि, प्रसारित या अन्यथा

उपलब्ध नहीं कराएगा या गोपनीय जानकारी का उपयोग करेगा नहीं करेगा, सिवाय इस अनुबंध की अवधि के दौरान और ए.आई. तकनीषियन के स्वयं के उपयोग को छोडकर और केवल सेवाओं को निष्पादित करने के लिए आवश्यक सीमा तक । ए.आई.तकनीशियन कंपनी के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना, कंपनी से गोपनीय जानकारी वाले, या इलेक्ट्रॉनिक फाइलों को हटाने या हटाने का कारण नहीं होगा।

19. **<u>अवधि और समाप्ति :–</u>**

19.1 इस सेवा अनुबंध की अवधि निष्पादन तारीख से एक (1) वर्ष की अवधि के लिए होगी। कंपनी को ए.आई.तकनीषियन को सात (7) दिनों की पूर्व सूचना देकर इस अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार होगा। कंपनी द्वारा इस तरह की समाप्ति पर ए.आई.तकनीषियन कंपनी की ओर से उसके द्वारा प्राप्त सभी भुगतान वापस कर देगा जो ए.आई.तकनीषियन द्वारा कंपनी को समाप्ति की सूचना की तारीख तक वापस नहीं किया गया है।

19.2 ए.आई.तकनीशियन स्वीकार करता है और सहमत होता है कि, यदि कंपनी की ओर से ए.आई.तकनीशियन द्वारा प्राप्त कोई भुगतान कंपनी को इस अनुबंध में उल्लेखित अनुसार सात (7) दिनों के समय के भीतर वापस नहीं किया जाता है तो कंपनी के पास यह अधिकार होगा कि ऐसी समाप्ति या किसी अन्य शुल्क के बदले ए.आई.तकनीषियन के साथ इस अनुबंध को तत्काल प्रभाव से सात (7) दिनों की फीस के भुगतान के बिना समाप्त करने का अधिकार, जो उल्लंघ्घन की ऐसी अवधि के दौरान ए.आई.तकनीषियन को देय होता। हालांकि यदि कंपनी ऐसा चाहती है तो वह ए.आई.तकनीषियन को और सात (7) दिनों का समय देकर उल्लंघ्घन को सुधारने का अवसर प्रदान करेगी जिसमें विफल रहने पर इस धारा अनुसार अनुबंध समाप्ति लागू होगी।

19.3 इस अनुबंध की समाप्ति के दो (2) दिनों के भीतर ए.आई.तकनीशियन कंपनी द्वारा सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रदत्त सभी सामग्रियों को वापस कर देगा।

19.4 ए.आई.तकनीशियन स्वीकार करता है कि धारा 12.2 के अनुसार समाप्त होने पर या उपरोक्त धारा 12.3 का पालन न करने पर, कंपनी को कंपनी से संबंधित ऐसे भुगतानों और सामग्रियों की वसूली के लिए ए.आई. तकनीशियन के खिलाफ दीवानी के साथ–साथ आपराधिक कार्यवाही संस्थित करने का अधिकार होगा। ऐसी कानूनी कार्रवाई की लागत भी ए.आई.तकनीशियन से वसूल की जाएगी।

20. **क्षतिपूर्ति :–**

20.1 यदि अनुबंध के क्रियान्वयन के दौरान प्रथम पक्ष कंपनी द्वारा ऐसा पाया जाता है कि द्वितीय पक्ष ए.आई. तकनिशियन द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान करने के दौरान उपयोगकर्ता को कोई क्षति कारित की हो अथवा द्वितीय पक्ष की सेवाओं से कोई कानूनी अडचन आती है अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है अथव अन्य कोई कानूनी कार्यवाही की जाती है तो उस सब का निस्तारण द्वितीय पक्ष ए.आई. तकनिशियन द्वारा अपने स्वयं के स्तर पर एवं स्वयं के खर्चे से किया जावेगा तथा इस संबंध में प्रथम पक्ष कंपनी की कोई जिम्मेदारी अथवा जवाबदेही नहीं होगी।

20.2 यदि द्वितीय पक्ष ए.आई. तकनिशियन द्वारा प्रदत्त सेवाओं में कोई सेवादोष होने अथवा दौराने सेवा उपयोगकर्ता को कोई क्षति कारित होने के कारणवश आरंभ हुई किसी भी कार्यवाही का प्रभाव प्रथम पक्ष कंपनी पर पड़ता है या प्रथम पक्ष कंपनी को कोई क्षति कारित होती है तो उक्त क्षति की क्षतिपूर्ति करने का अधिकार प्रथम पक्ष कंपनी को द्वितीयपक्ष ए.आई. तकनिशियन से होगा।

21. **विविध :–**

ए) **संपूर्ण अनुबंध**: यह अनुबंध, और कोई भी अनुलग्नक, डुप्लिकेट, या प्रतियां, इस अनुबंध की विषय वस्तु के संबंध में पक्षो के बीच संपूर्ण अनुबंध का गठन करती हैं, और सभी पूर्व वार्ताओं, अनुबंधों, अभ्यावेदन और किसी भी प्रकार की समझ, चाहे लिखित या मौखिक हो, पार्टियों के बीच, इस अनुबंध की तारीख से पहले।

बी) **संशोधन और असाइनमेंटः** इस अनुबंध को केवल प्रत्येक पक्ष के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित लिखित अनुबंध द्वारा संशोधित किया जा सकता है (ईमेल स्वीकार्य है)। यह अनुबंध किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की स्पष्ट, लिखित सहमति के बिना संशोधित नहीं किया जा सकेगा।

सी) **पृथक्करणीयता** : यदि इस अनुबंध का कोई भी प्रावधान कानूनी तौर पर अनुपालना करवाने योग्य नहीं है अथवा अवैध है तो ऐसे प्रावधान इस अनुबंध से पृथक माने जावेगे तथा शेष सभी प्रावधान यथावत रूप से दोनों पक्षों पर लागू रहेगे तथा स्वतः अवैध नहीं माने जावेगे।

डी) **कोई छूट नहीं** : इस अनुबंध के संबंध में किसी भी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार का प्रयोग करने में विफलता या देरी को छूट के रूप में संचालित करने के लिए नहीं माना जाएगा, और किसी भी अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार के एकल या आंशिक अभ्यास को किसी भी अधिकार को रोकने के लिए नहीं माना जाएगा। उस अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार या किसी अन्य अधिकार, शक्ति या विशेषाधिकार के प्रयोग के बाद या आगे अभ्यास।

इ) **विवाद समाधान, शासी कानून और क्षेत्राधिकार :** यदि कोई विवाद इस अनुबंध, या उसके उल्लंघन से उत्पन्न होता है या उससे संबंधित है, और यदि विवाद को 30 दिनों के भीतर बातचीत के माध्यम से सुलझाया नहीं जा सकता है, तो पक्षगण विवादों का निराकरण के लिए जयपुर की अदालतों के पास जाएंगे जिन्के पास इस अनुबंध के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों की सुनवाई के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र होगा। दर्ज किया गया यह अनुबंध विशेष रूप से भारत के कानूनों के अनुसार शासित माना जाएगा।

एफ) **सूचनाः** इस अनुबंध के संबंध में कोई भी नोटिस, मांग या अनुरोध लिखित रूप में होगा और केवल तभी प्रभावी होगा जब इसे व्यक्तिगत सेवा द्वारा, एयर कूरियर द्वारा या ऊपर दिए गए पते पर ईमेल किया जाए। इस तरह के पत्राचार प्रभावी होंगे जब प्राप्तकर्ता उन्हें प्राप्त करता है।

पार्टियों ने यहां सभी शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वे स्वेच्छा से, किसी भी दबाव से मुक्त हैं, इस ए.आई.सेवा अनुबंध पर प्रारंभिक खंड में बताई गई तारीख पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।

द्वारा हस्ताक्षरित और प्रदत्त किया गया

वास्ते कंपनी	वास्ते सेवा प्रदाता/ ए.आई.तकनीशियन
नाम: नीतू यादव	नाम:
शीर्षकः निदेशक	पान नंबर :

<u>अनुलग्नक – क</u>

<u>सेवा क्षेत्र</u>

1) ए.आई.तकनीशियन उपयोगकर्ता को कंपनी के बारे में समझाएगा।
2) ए.आई.तकनीशियन उपयोगकर्ता को कंपनी के ए.आई.उत्पाद रेंज के बारे में बताएंगे।
3) ए.आई.तकनीशियन मवेशियों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे
4) ए.आई.तकनीशियन ए.आई.सेवा तभी करेगा जब पशु ए.आई.(कंपनी द्वारा दी गई प्रथाओं और प्रक्रियाओं के अनुसार) के लिए उपयुक्त है, यदि जानवर उपयुक्त पाया जाता है, तभी ए.आई.तकनीशियन ए.आई.सेवा प्रदान करेगा।
5) ए.आई.सेवा करने के बाद, ए.आई.तकनीशियन कंपनी द्वारा समय–समय पर निर्देशानुसार ए.आई.प्रमाणपत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज उपयोगकर्ता को साझा करेगा।
6) ए.आई.तकनीशियन उन उपयोगकर्ता और जानवरों का रिकॉर्ड बनाए रखेगा जिन्हें ए.आई.सेवाएं प्रदान की गई हैं और इसे कंपनी के साथ दैनिक आधार पर सभी विवरण साझा करेंगे। ए.आई.तकनीशियन द्वारा

रखे गए विवरण में उपयोगकर्ता का नाम, फोन नंबर, गांव का नाम और साथ ही उपयोगकर्ता और जानवर के चित्र शामिल होंगे।

7) ए.आई.तकनीशियन कंपनी की ओर से ए.आई.सेवा करने के बाद उपयोगकर्ता से भुगतान प्राप्त करने लिए बाध्य है और इस अनुबंध में निर्धारित समय सीमा के भीतर कंपनी की ओर से प्राप्त सभी भुगतान वापस करने के लिए भी बाध्य है।

8) पार्टियों द्वारा लिखित में आपसी सहमति से कोई भी अतिरिक्त सेवाएं जोड़ी जा सकती हैं।

नोट :–

कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को करने के लिए समय–समय पर संशोधित विस्तृत प्रथाओं और प्रक्रियाओं को इस अनुबंध की अवधि के दौरान ए.आई. तकनीशियनों को उपलब्ध कराया जाएगा और वही उचित प्रथाओं और प्रक्रियाओं को निर्धारित करेगा जो ए.आई.तकनीशियनों द्वारा इस अनुबंध के तहत सेवा प्रदान करने के समय पालन किए जाने की आवश्यकता है।

अनुलग्नक – बी

शुल्क और भुगतान की शर्तें :–

इस अनुबंध के तहत निम्नलिखित भुगतान संरचना और शर्तें ए.आई. तकनीशियन / ए.आई.तकनीशियन लागू होंगी।

ए.आई.की संख्या	फीस (रु.)	ईंधन शुल्क (रु.)	रु. प्रति एआई	प्रोत्साहन – यदि सफलता दर 70% और उससे अधिक है (रु।)	प्रोत्साहन – यदि सफलता दर 60% से 69%(रु.)
75–149	10,000/–		133/–	5000/–	2500/–
150–199	20,000/–	1500/–	143/–	5000/–	2500/–
200–299	25,000/–	3600/–	143/–	5000/–	2500/–
300 प्लस	37,000/–	6200/–	144/–	5000/–	2500/–

- ''सफलता दर'' का अर्थ कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से गर्भवती पशुओं की गर्भावस्था का पता लगाने की सफलता दर है, जो प्रति माह ए.आई.तकनीशियन द्वारा किए गए कुल कृत्रिम गर्भाधान के बाद निर्धारित की जाती है।
- हर महीने के अंत में, कंपनी ए.आई.तकनीशियन को एक बिल भेजेगी और हस्ताक्षर करने पर भुगतान की प्रक्रिया की जावेगी । ये भुगतान कर सहित होगें।

रेफरल बोनस :–

ए.आई.तकनीशियन कंपनी द्वारा ए.आई.तकनीशियनों के लिए समय–समय पर स्थापित किसी भी बोनस योजना या योजनाओं में भाग लेने का हकदार होगा, जो हमेशा उन योजनाओं के नियमों के अधीन होगा।